

आदेश की क्रम
संख्या और
तारीख

— 1 —

2

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख
सहित

1

2

3

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, छत्तरपुर, पलामू।

आदेश

विविध वाद संख्या- 48/2022- 23

धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता

विजय सिंह वगैरह प्रथम पक्ष

बनाम

मुकेश सिंह वगैरह द्वितीय पक्ष

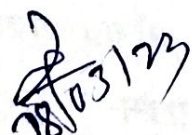
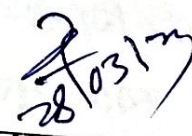
विवादी भूमि का विवरण

मौजा	खाता सं०	प्लॉट सं०	कुल रबा एकड़	विवादी रकबा एकड़	चौहद्दी
हुटूकदाग	2	739	0.012 $\frac{1}{4}$ एकड़	0.06 एकड़	उ०- रोड द०- दशरथ उराँव पू०- सुरेश सिंह प०- गुप्तेश्वर सिंह

P 164
05-08-23

28-03-2023

आवेदक 1. विजय सिंह, 2. उदय कुमार सिंह दोनों के पिता- चंदेश्वर सिंह, ग्राम- हुटूकदाग, पो०- चराई, थाना- छत्तरपुर, जिला- पलामू ने 1. मुकेश कुमार सिंह पिता- केश्वर सिंह, ग्राम- पिण्डराही, पो०+थाना- छत्तरपुर, जिला- पलामू, 2. ओमप्रकाश सिंह पिता- स्व० मुखराम सिंह, ग्राम- हुटूकदाग, पो०- चराई, थाना- छत्तरपुर, जिला- पलामू के विरुद्ध धारा 144 दं०प्र०सं० अंतर्गत कार्रवाई हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया गया। उक्त आवेदन

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2 पत्र के अवलोकन करने एवं उनके विज्ञ अधिवक्ता के बहस को सुनने से संतुष्ट होकर विवादी भूमि पर धारा- 144 दं० प्र० सं० की प्रक्रिया कायम कर उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करते हुए वाद भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए कारण पृच्छा की मांग की गई। नोटिस के आलोक में उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए एवं द्वितीय पक्ष की ओर से कारण पृच्छा दाखिल किया गया। प्रथम पक्ष पुकार पर उपस्थित नहीं हुए और ना ही उनके विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बहस में भाग लिया गया। पक्षकार के पक्ष के अभाव में किसी प्रकार के प्रभावकारी आदेश पारित करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः इस वाद की अग्रेत्तर कार्रवाई बिना किसी प्रभावकारी आदेश के समाप्त किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित  अनुमण्डल दण्डाधिकारी, छत्तरपुर, पलामू।  अनुमण्डल दण्डाधिकारी, छत्तरपुर, पलामू।